	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साअधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
	अग्रहायण 14, गुरूवार, *शाके* 1941–दिसम्बर 5, 2019 *Agrahayana 14, Thursday, Saka 1941–December 5, 2019*	

भाग 6 (ग)

ग्राम पंचायत संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

विभाग राज पंचायती एवं विकास ग्रामीण

(पंचायती राज विभाग)

अधिसूचना

जयपुर, दिसम्बर 04, 2019

संख्या एफ.15(1)पुनर्गठन/विधि/पंरावि/2019/3121 :-माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर डी.बी.सिविल रिट याचिका 13060/2019 ग्राम पंचायत खारी व अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में जिला कलेक्टर, बाडमेर के मूल प्रस्ताव में ग्राम भावनगर एवं नरावतों का गोलिया को किसी अन्य पंचायत में सम्मिलित करने का प्रस्ताव नहीं होने से राज्य की तरफ से इन ग्रामों को खारी से अन्य ग्राम पंचायत में सम्मिलित नहीं करने का पक्ष प्रस्तुत किया गया। तदनुसार माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 06.11.2019 को आदेश पारित करते हुए रिट निष्प्रभावित होने से निस्तारित कर दी गई।

विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ.15(1)पुनर्गठन/2019/पंरावि/विधि/2993 दिनांक 15.11.19 के क्रम में इन दोनों ग्रामों को ग्राम पंचायत कातरला खिलेरियान में सम्मिलित कर दिया गया। अत: माननीय न्यायालय के आदेश 06.11.2019 के क्रम में 15.11.2019 की अधिसूचना में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है।

<u>पंचायत समिति:- धोरीमन्ना</u>

वर्तमान ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत में सम्मिलित राजस्व ग्रामों के नाम	संशोधन के पश्चात ग्राम पंचायत में सम्मिलित राजस्व ग्रामों के नाम
खारी	1. खारी 2. मानसिंह की बेरी 3. भाउडा	1. खारी 2. मानसिंह की बेरी 3. भाउडा 4. भावनगर 5. नरावतों का गोलिया
कातरला खिलेरियान	1. कातरला खिलेरियान 2. कातरला 3. आदर्श कातरला 4. भावनगर 5. नरावतों का गोलिया 6. खीचडा का वास	1. कातरला खिलेरियान 2. कातरला 3. आदर्श कातरला 4. खीचडा का वास

आज्ञा से

डॉ0 आरूषी मलिक,

विशिष्ट शासन सचिव एवं निदेशक।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।